राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
07432 –230646 Email: dm-jha-rj@nic.in
व्हाटसएप्प हैल्पलाईन–9887320044

कमांक / 684 / न्याय / 18 / दिनांक .01.2018 01.2.18

– ::आदेश::–

श्री नवलकिशोर पिता श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी लुहारिया थाना अकलेरा ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री भैरूलाल जाति मीना निवासी लुहारिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड का दिनांक 16.10.2017 को स्वर्गवास हो चुका है, उनके नाम कार्यालय से शस्त्र अनुज्ञापत्र स. 265 / जेएलडब्ल्यू / 89 जारी है, जो दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकृत है। उक्त अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन न0 6739 को थाना अकलेरा के यहां जमा करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

चूंकि इस आवेदन पत्र के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से हमें यह ज्ञात हो चुका है कि अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृतक श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री भैरूलाल जाति मीना निवासी लुहारिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड के पक्ष मे कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञापत्र संख्या 265 / जेएलडब्ल्यू / 89 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन न0 6739 को थाना अकलेरा के यहां जमा कराए जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

कमांक / / न्याय / 18 / दिनांक .01.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ
1– पुलिस अधीक्षक झालावाड
पालनार्थः–
1– थानाधिकारी थाना अकलेरा अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को नियमानुसार थाने मे जमा कर आवेदक को रसीद प्रदान करे।
2– आवेदक श्री नवल किशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी लुहारिया थाना अकलेरा मोबाईल 9799799249

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
...ग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
...टसएप्प हैल्पलाईन–9887320044
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 687 दिनांक 01.02.2018

आदेश

श्री सुखविन्द्र सिंह आ रेशम सिंह निवासी जे–आर– 32 सिविल लाईन झालावाड जिला झालावाड ने इस कार्यालय मे .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एंव चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 815 दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये जाने से आवेदक की जाच पूर्ण नही किये जाने से लाईसेंस दिया जाना उचित नही बताया है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 687-88 दिनांक 01.02.2018

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड
2. आवेदक श्री सुखविन्द्र सिंह आ रेशम सिंह, सहायक आचार्य, राजकीय अभियात्रिंकी महाविधालय निवास जे–आर–32, सिविल लाईन, झालावाड

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

बेटी को मत समझो भार, जीवन का यह आधार।
लड़का–लड़की एक समान, यही संकल्प यही अभियान।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
व्हाटसएप्प हैल्पलाईन–9887320044
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/689 दिनांक 01.02.2018

आदेश

श्री बृजसुंदर शर्मा आ शिवदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खानपुर जिला झालावाड ने इस कार्यालय मे .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एंव चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 811 दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा लाईसेंस लेने का कारण स्वयं की सुरक्षा बताया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होना प्रतीत होता हो। लाईसेंस लेने का उचित आधार नही होने से लायसेंस दिया जाना उचित नही बताते हुए असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ दिनांक .2018

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड
2. आवेदक श्री बृजसुंदर शर्मा एडवोकेट, पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, चांदखेडी रोड, खानपुर जिला झालावाड

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
फोन न 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in
व्हाटसएप्प हैल्पलाईन–9887320044

क्रमांक / आर्म्स / न्याय / 2018 / 691 दिनांक 01.02.2018

आदेश

श्री प्रदीप शर्मा आ शिवदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खानपुर जिला झालावाड ने इस कार्यालय मे .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एंव चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 811 दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा लाईसेंस लेने का कारण स्वयं की सुरक्षा बताया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होना प्रतीत होता हो। लाईसेंस लेने का उचित आधार नही होने से लायसेंस दिया जाना उचित नही बताते हुए असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

क्रमांक / आर्म्स / न्याय / 2018 / दिनांक .2018

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड
2. आवेदक श्री प्रदीप शर्मा एडवोकेट, पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, चांदखेडी रोड, खानपुर जिला झालावाड

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बेटी को मत समझो भार, जीवन का यह आधार।
लड़का–लड़की एक समान, यही संकल्प यही अभियान।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 808

दिनांकः 07.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/3832–33 दिनांक 07.02.2018 से पुलिस थाना रायपुर के अभियोग सं0 207/17 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भजनाराम पुत्र पुनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2017 को मुखबिर इत्तला धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट पर श्री कल्याण सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना होकर औसाव का खेडा के बने सिंह के कुए पर हलचल कर रहे लोगो को घेरादेकर डिटेन किया। मौके पर 4 व्यक्ति मिले। 1 स्कार्पियो गाडी जिस पर एमपी 14 सीए 5478 की नम्बर प्लेट लगी हुई खडी मिली, जिसकी सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पतापूछा तो उसने अपना नाम हरजिन्द्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जट सिख उम्र 32 साल निवासी कोटली थाना सम्माना जिला पटियाला पंजाब का होना बताया। 2 इनोवा गाडी जिस पर एमपी 14 सीए 5578 की नम्बर प्लेट लगी हुई सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर का होना बताया। सफेद कटटो पर बेठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बुद्धु सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर उम्र 23 साल निवासी गंगरोली थाना सम्माना जिला पटियाला बताया चोथे व्यक्ति ने अपना नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 24 साल निवासी खारा थाना फलोदी जिला जोधपुर का होना बताया। थानाधिकारी द्वारा अपना परिचय देकर सफेद कटटो मे भरे पदार्थ को चैक किया तो डोडा चूरा, अफीम से भरे मिले। मौके पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के अनुरूप समस्त कार्यवाही कर भजनाराम के कब्जे से 12 बोर बन्दूक डबल बैरल तथा 10 जिदां कारतूस जप्त किये। भजनाराम से बन्दूक व कारतूस संबधी अनुज्ञापत्र चाहा गया तो नही होना बताया। कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 207/17 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान थानाधिकारी सदर द्वारा प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा 12 बोर बन्दूक डब्ल बैरल तथा 10 जिदां कारतूस का मेकेनिक मुआयना करवाया गया तो उक्त 12 बोर व 10 जिंदा कारतूस फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त भजनाराम के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने दिनांक 7.2.18 को अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संजय प्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री रामगोपाल एचसी 402 उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड 12 बोर बन्दूक डबल बैरल व 10 कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फ़ैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/ न्याय/2018/ 936

दिनांकः 15.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/28748 दिनांक 29.01.2018 से पुलिस थाना गंगधार के अभियोग सं0 13/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2018 को श्री रूप सिंह सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता सांयकालीन गश्त मय अनुसंधान बाक्स सरकारी वाहन से रवाना होकर आडा बाजार आईस फेक्ट्री के पास पहुंचने पर मुखबिर की सूचना मिली कि बुलबुल उर्फ सुनिल बैरागी कूण्डला रोड पर खडा है। इसके पास देशी कटटा है। उक्त सूचना पर मय जाप्ते के सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर जीप को देखकर बुलबुल उर्फ सुनिल बैरागी भागने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार का होना बताया। तलाशी लेने पर पेंट की दाहिने जेब मे एक देशी कटटा 315 बोर मिला। लायसेंस नही होना बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 13/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर का मेकेनिकल मुआयना आरमोरर पुलिस लाईन से करवाया गया। जप्तशुदा देशी कटटा फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना पाया गया। अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रूप सिंह एएसआई थाना गंगधार व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा 315 बोर को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 938

दिनांक: 15.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 4550–51 दिनांक 12.02.2018 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 211 / 17 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोपालिया पुत्र हीरा जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी डेरा कंजरान तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2017 को एसआरजी अस्पताल झालावाड के इमरजेसी वार्ड मे जेर इलाज मजरूब श्री रामकैलाश पुत्र मान्या उर्फ मान सिंह जाति कंजर उम्र 22 साल निवासी नयागांव सांकलीखेडा थाना सदर ने पर्चा बयान किया कि आज दिनांक 01.12.2017 को दिन के 12 बजे हम सभी घर वाले घर पर बेठे थे तभी तीतरवासा व किशनपुरिया कंजर डेरे सेभोपालिया पुत्र हीरा कंजर निवासी तीतरवासा 2 कालू पुत्र हीरा कंजर निवासी तीतरवासा 3 नाथू पुत्र बन्या कंजर निवासी तीतरवासा 4 चेतन पुत्र बन्या कंजर निवासी तीतरवासा 5 बाबू उर्फ बाबूडिया पुत्र चेतन 6 राम सिंह पुत्र रमेश निवासी तीतरवासा 7 राजाबाबू पुत्र भगवतिया कंजर निवासी किशनपुरिया 10 नंदकिशोर पुत्र भगवतिया कंजर निवासी किशनपुरिया 11 ज्ञान सिंह का लडका 4 मोटर सायकलो पर बैठकर ये 4 मोटरसाईकिलो पर बेठकर बन्दूके, तलवार, लाठियो से लेस होकर हमारे डेरे पर आये। आते ही चेतन कंजर ने कहा कि मेरी बेठी झमकू बाई के झगडे की रकम तूम लोगो को देनी है, इस पर मेरे बडे भाई भगवान सिंह ने कहा कि जात पंचायत करलो लडाई क्यो करते हो। ये कहते ही राजबाबू कंजर ने मेरे भाई भगवान सिंह को जान से मारने की नियत से 12 बोर बदूंक से फायर कर दिया। इसके बाद सभी ने हथियारो से मारपीट की इत्यादि पर प्रकरण स0 211 / 17 धारा 147, 148, 149, 307,336, 323 भादस दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त भोपालिया पुत्र कालू जाति कंजर के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की इत्तला पर 1 देशी कटटा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस एंव एक खाली खोखा जप्त किया गया। प्रकरण मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 3 / 25, 4 / 25 आर्म्स एक्ट जोडी गयी। जप्तशुदा देशी कटटा व कारतूस का मेकेनिक मुआयना आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से करवाया गया तो उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है तथा 1 जिंदा कारतूस फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना पाया गया। अभियुक्त भोपालिया के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ, एएसआई थाना सदर झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा व कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त भोपालिया पुत्र हीरा जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी डेरा कंजरान तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 940

दिनांकः 15.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/4548–49 दिनांक 12.02.2018 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 12/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2018 को मुखबिर की सूचना पर श्री संजय प्रसाद थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना हौकर डोण्डा तालाब के पास पहुंचे जहा मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति पुलिस जापता व गाडी को देखकर तेज कदमो से जाने लगा। जिसे जाप्ते की इमदाद से घेरा देकर पकडा व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन होना बताया। जिसे कब्जे से एक देशी पिस्टल लोहा व 4 जिदां कारतूस बरामद किये। जिसका लायसेंस उसके पास नही होना बताया गया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 12/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी पिस्टल व कारतूस का मेकेनिकल मुआयना आरमोरर पुलिस लाईन से करवाया गया। आरमोरर ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त देशी पिस्टल फायर करने योग्य बताई जो फायर आर्म्स की श्रेणी मे आती है एंव 4 जिदां कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ, एएसआई थाना सदर झालावाड व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल व 4 कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1222

दिनांकः 27.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 1324–25 दिनांक 15.01.18 से पुलिस थाना डग के अभियोग सं0 198 / 17 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौधिया राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2017 को श्री रणजीत सिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता वास्ते गश्त इलाका व चैकिग हेतु रवाना होकर निपानिया जा रहा था कि मेरूखेडी तिराहे पर एक व्यक्ति खडा मिला, जो पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगा। जिस पर शक होने से हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौध्या राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग होना बताया। जिसे चैक किया तो एक देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड की मिली। अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अपने पास अनुज्ञापत्र होना नही बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 198 / 17 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड का आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करावाया गया तो जब्तशुदा देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड फायर करने योग्य पाया गया तथा फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मगन लाल एएसआई थाना डग व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौध्या राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Procecution Senction

जगमग झालावाड